

अनुसूची-x

गोवा के मोपा हवाईअड्डे
की स्थापना के संबंध में
भारत सरकार की ओर से
भारत के राष्ट्रपति
और
जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
लिमिटेड
के बीच समझौता ज्ञापन

31 मार्च, 2017

समझौता ज्ञापन

यह ज्ञापन समझौता नई दिल्ली में दिनांक 31 मार्च 2017 को निम्नलिखित के बीच निष्पादित किया गया है:

भारत के राष्ट्रपति, जो सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार (जिसे आगे "**भारत सरकार**" कहा गया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल माने जाएंगे) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, प्रथम पक्ष; और

जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो [कंपनी अधिनियम, 2013] के तहत भारत में निगमित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय सर्वे नंबर 381/3, मथुरा वन, पहली मंजिल, एनएच 17, पोरवोरिम, गोवा - 403501 में स्थित है (जिसे आगे "**रियायतग्राही**" कहा गया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशिनी शामिल माने जाएंगे), द्वितीय पक्ष।

भारत सरकार और रियायतग्राही को आगे संयुक्त रूप से "**पक्ष**" और व्यक्तिगत रूप से "**पक्षकार**" कहा गया है।

जबकि :

(क) भारत सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी में निर्धारित नियमों और शर्तों के अध्याधीन, गोवा राज्य के मोपा में सार्वजनिक उपयोग के लिए एक हवाईअड्डे ("**हवाईअड्डा**") की स्थापना के लिए प्राधिकरण को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी ("**सैद्धांतिक मंजूरी**") दी है।

(ख) प्राधिकरण ने डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर (डीबीएफओटी) के आधार पर हवाईअड्डे की स्थापना करने का संकल्प लिया है ("**परियोजना**"). तदनुसार प्राधिकरण ने बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनी योग्यता के लिए अनुरोध संख्या 32/डीओसीए/आरएफक्यू/एमओपीए/2014 दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे और तत्पश्चात डीबीएफओटी आधार पर हवाईअड्डे के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए प्रस्ताव के अनुरोध के माध्यम से बोलियां आमंत्रित की थीं। बोलियों के मूल्यांकन के अनुसरण में, प्राधिकरण ने रियायतग्राही की बोली स्वीकार कर ली।

(ग) प्राधिकरण और रियायतग्राही ने दिनांक 8 नवंबर 2016 को एक रियायत समझौता (जिसे आगे "**रियायत समझौता**" कहा गया है) किया है, जिसके तहत वे उन नियमों और शर्तों पर सहमत हुए हैं जिनके आधार पर रियायतग्राही डीबीएफओटी आधार पर हवाईअड्डे का निर्माण, संचालन और रखरखाव करेगा।

(घ) भारत सरकार स्वीकार करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा रियायतग्राही को निरंतर सहायता और कुछ अधिकारों का प्रदान किया जाना आवश्यक है, जैसा कि इसके बाद निर्धारित किया गया है, और यह परियोजना के लिए संसाधनों को जुटाने की एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है।

(ङ) रियायतग्राही द्वारा रियायत समझौते को निष्पादित करने के एवज में और रियायत समझौते के तहत प्राधिकरण के दायित्वों के अतिरिक्त, रियायतग्राही के सुचारू संचालन और व्यावहारिकता को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार रियायतग्राही को कुछ सहायता प्रदान करने पर सहमत है, जैसा कि यहाँ कहा गया है।

अब इसके द्वारा निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है:

खंड 1 :

परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस ज्ञापन समझौते में, उस सीमा को छोड़कर जहाँ संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

"पशु संगरोध सेवाएं" से तात्पर्य संगरोध सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची-1 में निर्धारित किया गया है;

"पशु संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि" से तात्पर्य पशु संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा;

"लागू परमिट" से तात्पर्य उन सभी स्वीकृतियों, लाइसेंसें, परमिटों, प्राधिकारों, अनापत्ति प्रमाण पत्रों, सहमतियों, अनुमोदनों और छूटों से होगा, जिन्हें इस ज्ञापन समझौते के अस्तित्व के दौरान परियोजना के संबंध में लागू कानूनों के तहत भारत सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग/एजेंसी से प्राप्त करना और उसके बाद बनाए रखना आवश्यक है;

"मध्यस्थता न्यायाधिकरण" का वही अर्थ होगा जो इसके तहत खंड 8.3.2 में दिया गया है;

"प्राधिकरण" से तात्पर्य नागर विमानन निदेशालय, गोवा सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए गोवा के राज्यपाल से होगा;

"प्राधिकरण प्रतिनिधि" से तात्पर्य प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा, जिसे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर नामित किया जाएगा;

"सीएनएस/एटीएम सेवाएं" से तात्पर्य हवाई यातायात प्रबंधन के लिए संचार, नेविगेशन और निगरानी प्रणालियों से संबंधित सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 2 में निर्धारित किया गया है;

"सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रतिनिधि" से तात्पर्य सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा;

"रियायत समझौता" का वही अर्थ होगा जो प्रस्तावना (ग) में दिया गया है;

"रियायतग्राही" का वही अर्थ होगा जो पक्षकारों की सूची में दिया गया है या कोई अन्य पक्ष जिसे प्राधिकरण द्वारा परियोजना के लिए रियायतग्राही के रूप में स्वीकार किया जा सकता है;

"रियायतग्राही प्रतिनिधि" से तात्पर्य कम से कम निदेशक के पद पर आसीन प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) से होगा, जिसे रियायतग्राही द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा;

"सीमा शुल्क नियंत्रण" से तात्पर्य सीमा शुल्क संबंधी सेवाओं से होगा, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 3 में निर्धारित किया गया है;

"सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि" से तात्पर्य सीमा शुल्क नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा;

"डीजीसीए" से तात्पर्य नागर विमानन महानिदेशालय या इसके किसी प्रतिस्थानी से है;

"प्रभावी तिथि" से तात्पर्य उस तिथि से होगा जो भारत सरकार और प्राधिकरण के बीच परस्पर सहमत हो, लेकिन यह रियायत समझौते में दिए गए नियत तिथि से बाद की नहीं होगी;

"भारत सरकार" का वही अर्थ होगा जो इस ज्ञापन समझौते की प्रस्तावना में दिया गया है;

"भारत सरकार सहायता" का वही अर्थ होगा जो इस ज्ञापन समझौते के खंड 3 में दिया गया है;

"स्वास्थ्य सेवाएं" से तात्पर्य अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 4 में निर्धारित किया गया है;

"स्वास्थ्य सेवाएं प्रतिनिधि" से तात्पर्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा;

"इमिग्रेशन सेवाएं" से तात्पर्य लागू कानून के अनुसार इमिग्रेशन सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 5 में निर्धारित किया गया है;

"इमिग्रेशन सेवाएं प्रतिनिधि" से तात्पर्य इमिग्रेशन सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा;

"संयुक्त समन्वय समिति" का वही अर्थ होगा जो इसके तहत खंड 4.1.1 में दिया गया है;

"मास्टर प्लान" का वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है;

"मौसम संबंधी सेवाएं" से तात्पर्य मौसम संबंधी सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची-6 में निर्धारित किया गया है;

"मौसम संबंधी सेवाएं प्रतिनिधि" से तात्पर्य मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा;

"ज्ञापन समझौता" या **"यह ज्ञापन समझौता"** से तात्पर्य इस ज्ञापन समझौते (MoU) से होगा;

"पादप संगरोध सेवाएं" से तात्पर्य संगरोध सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची-7 में निर्धारित किया गया है;

"पादप संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि" से तात्पर्य पादप संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा;

"परियोजना" से तात्पर्य रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डे के निर्माण, संचालन और रखरखाव से है;

"आरक्षित सेवाएं" का वही अर्थ होगा जो इसके तहत खंड 3.3.1 में दिया गया है;

"सुरक्षा सेवाएं" से तात्पर्य सुरक्षा सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 8 में निर्धारित किया गया है;

"सुरक्षा सेवाएं प्रतिनिधि" से तात्पर्य सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा; और

"अवधि" का वही अर्थ होगा जो इसके तहत खंड 6.1 में दिया गया है। यहाँ प्रयुक्त अन्य मुख्य परिभाषित शब्द (और यहाँ अपरिभाषित) जो रियायत समझौते के तहत परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते के तहत उन शब्दों को दिया गया है।

1.2 व्याख्या

इस ज्ञापन समझौते में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, रियायत समझौते के खंड 1.2 में उल्लिखित व्याख्या नियम लागू होंगे।

खंड 2:

प्रभावी तिथि

इस ज्ञापन समझौते के प्रावधान (खंड 1, 2, 3.4, 3.5, 8 और 9 में निहित प्रावधानों को छोड़कर, जो इस ज्ञापन समझौते की तिथि से पक्षकारों पर बाध्यकारी हैं) प्रभावी तिथि से लागू होंगे और पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे।

खंड 3:

भारत सरकार सहायता

प्रभावी तिथि से, भारत सरकार इसके द्वारा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित सहायता प्रदान करने का वचन देती है ("**भारत सरकार सहायता**"):

3.1 लागू परमिट

3.1.1 भारत सरकार, रियायतग्राही से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर और रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन, संबंधित वैधानिक अवधि (यदि कोई हो) के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक लागू परमिट रियायतग्राही को प्रदान करने का प्रयास करेगी। पक्षकार सहमत हैं कि जहाँ कोई वैधानिक अवधि निर्धारित नहीं है, वहाँ भारत सरकार रियायतग्राही द्वारा लागू परमिट प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट सभी मानदंडों को पूरा करने के अधीन, रियायतग्राही से लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से ⁴⁵ (पैंतालीस) दिनों के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक लागू परमिट प्रदान करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगी।

3.1.2 रियायतग्राही इसके द्वारा वचन देता है कि लागू परमिटों को शीघ्र प्राप्त करने के लिए, वह लगन और समयबद्ध तरीके से: (i) संबंधित अधिकारियों के समक्ष लागू कानून के पूर्ण अनुपालन वाले आवेदन तैयार करेगा और दाखिल करेगा; (ii) संबंधित अधिकारियों के साथ पूर्वोक्त आवेदनों का फॉलो-अप करेगा; और (iii) आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए सभी अनुरोधों का समय पर जवाब देगा।

3.2 सिंगल विंडो क्लीयरेंस

भारत सरकार इसके द्वारा भारत सरकार के नियंत्रण और निर्देशन के अधीन संबंधित एजेंसियों, प्राधिकरणों, विभागों, निरीक्षकों, मंत्रालयों के पास लंबित किसी भी मुद्दे को सुलझाने और संपर्क साधने में रियायतग्राही को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार में एकल संपर्क बिंदु के माध्यम से एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस तंत्र/मार्ग स्थापित करने का वचन देती है।

3.3 आरक्षित सेवाएं

3.3.1 भारत सरकार पूरी अवधि के दौरान हवाईअड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगी, या प्रदान करवाएगी ("**आरक्षित सेवाएं**"):

- i. सीएनएस/एटीएम सेवाएं;
- ii. सीमा शुल्क नियंत्रण;
- iii. इमिग्रेशन सेवाएं;
- iv. पादप संगरोध सेवाएं;

v. पशु संगरोध सेवाएं;

vi. स्वास्थ्य सेवाएं;

vii. मौसम संबंधी सेवाएं;

viii. सुरक्षा सेवाएं;

ix. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामित कोई अन्य सेवा।

3.3.2 पक्षकार स्वीकार करते हैं कि सुरक्षा सेवाओं के लिए लगाया गया शुल्क और उसका संग्रह तथा उपयोग समय-समय पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी लागू दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित होगा।

3.3.3 रियायतग्राही, ड्राइंग/डिजाइनिंग चरण के दौरान, इमिग्रेशन ब्यूरो, राजस्व विभाग (सीमा शुल्क सेवाओं के लिए), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा सुझाए गए अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ परामर्श करेगा। ऐसी एजेंसियों के उचित सुझावों/अनुरोधों का सामान्यतः रियायतग्राही द्वारा पालन किया जाएगा, जब तक कि सुझावों और अनुरोधों का पालन न कर पाने का कोई अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण न हो।

3.4 भारत सरकार की एजेंसियों के साथ ज्ञापन समझौता

भारत सरकार इसके द्वारा रियायतग्राही और इसके तहत आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक भारत सरकार की एजेंसी/विभाग के बीच ज्ञापन समझौते के निष्पादन को सुरक्षित करने का वचन देती है, जिसमें उन नियमों और शर्तों को निर्धारित किया जाएगा जिन पर संबंधित भारत सरकार की एजेंसियों/विभागों द्वारा आरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस संबंध में, रियायतग्राही अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए सीमा शुल्क, सुरक्षा, संगरोध और अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसियों को, जैसी भी स्थिति हो, परिचालन क्षेत्र में बिजली, पानी आदि जैसी उपयोगिताओं की लागत को छोड़कर (जो रियायतग्राही द्वारा वसूल योग्य होंगी) और अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार आवश्यक कार्यालय उपयोगिताओं के साथ मुफ्त कार्यालय स्थान प्रदान करेगा। भारत सरकार की एजेंसी/विभाग द्वारा बैंक ऑफिस उपयोग के लिए स्थान के संबंध में, रियायतग्राही लागू बाजार दरों के 50% (पचास प्रतिशत) की दर से शुल्क लेगा।

3.5 मास्टर प्लान

भारत सरकार वचन देती है कि यदि हवाईअड्डे के मास्टर प्लान में किसी संशोधन की आवश्यकता होती है, जो डीजीसीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों या किसी अन्य लागू दिशानिर्देशों से विचलन में है, तो भारत सरकार प्राधिकरण से लिखित अनुरोध प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर उचित प्राधिकारी द्वारा मास्टर प्लान की स्वीकृति प्राप्त करेगी। बशर्ते कि

भारत सरकार ऐसी स्वीकृति देने से इंकार कर सकती है यदि ऐसे संशोधन हवाईअड्डे के समग्र डिजाइन और पर्यावरण के अनुकूल नहीं हैं।

3.6 वैमानिक शुल्कों के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत

3.6.1 इसके पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि कोई भी और सभी वैमानिक शुल्क जो रियायतग्राही किसी उपयोगकर्ता से लगा सकता है, एकत्र कर सकता है और विनियोजित कर सकता है, आईआरए (AERA) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और आईआरए द्वारा जारी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार आईआरए के एक आदेश के माध्यम से आईआरए द्वारा निर्धारित और संशोधित किए जाएंगे।

3.6.2 भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या फाइल सं. एवी.24011/12/2013-एडी दिनांक 13 अप्रैल 2015 के माध्यम से हवाईअड्डे पर वैमानिक शुल्कों के निर्धारण और नियमन के लिए 30% (तीस प्रतिशत) शेयर्ड-टिल फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है, और आईआरए द्वारा तदनुसार इस पर विचार किया जाएगा। संदेह से बचने के लिए, शहर की ओर से होने वाले विकास से रियायतग्राही के राजस्व को वैमानिक शुल्कों के निर्धारण और नियमन के लिए शेयर्ड-टिल फ्रेमवर्क से बाहर रखा जाएगा।

3.6.3 वार्षिक प्रीमियम को हवाईअड्डे के पूंजीगत व्यय या नियामक परिसंपत्ति आधार या वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्य से परिचालन व्यय के हिस्से के रूप में नहीं माना जाएगा, और वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के लिए लागत के हिस्से के रूप में माने जाने से हमेशा बाहर रखा जाएगा। रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय वार्षिक प्रीमियम पर आईआरए द्वारा वैमानिक शुल्कों के निर्धारण या संशोधन के लिए किसी भी उद्देश्य से विचार नहीं किया जाएगा।

3.6.4 रियायतग्राही चरण-I के व्यावसायिक संचालन की तिथि (चरण-I सीओडी) से हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं से टैरिफ की प्रारंभिक/तदर्थ दरों पर वैमानिक शुल्क लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का हकदार होगा जैसा कि आईआरए द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। टैरिफ की ऐसी प्रारंभिक/तदर्थ दरें आईआरए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आईआरए द्वारा वैमानिक शुल्कों के अनुमोदन तक लागू और मान्य होंगी।

3.6.5 चरण-I सीओडी से शुरू होने वाले पहले टैरिफ नियंत्रण काल (वर्तमान में 5 वर्ष) के लिए आईआरए द्वारा अनुमोदित तदर्थ या अंतिम वैमानिक शुल्कों के संबंध में वैमानिक राजस्व की किसी भी कम-वसूली या अधिक-वसूली को आईआरए अधिनियम और आईआरए द्वारा जारी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार दूसरे टैरिफ नियंत्रण काल में स्वीकार्य वैमानिक राजस्व का निर्धारण करते समय आईआरए द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा और समायोजित किया जाएगा।

3.6.6 पहले टैरिफ नियंत्रण काल के बाद वैमानिक राजस्व की किसी भी कम-वसूली या अधिक-वसूली को आईआरए द्वारा आईआरए अधिनियम के अनुसार और आईआरए द्वारा जारी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

3.6.7 रियायतग्राही को पड़ोसी हवाई अड्डों के टैरिफ के साथ टैरिफ को तुलनात्मक बनाए रखने के तरीकों का पता लगाने के लिए आईआरए के साथ मिलकर काम करना होगा।

3.6.8 संप्रभु कार्यों को प्रदान करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किसी भी सरकारी निकाय को किए गए किसी भी भुगतान को वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्य से एक परिचालन व्यय माना जाएगा, और तदनुसार वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के लिए लागत के हिस्से के रूप में माना जाएगा।

खंड 4:

संयुक्त समन्वय समिति

4.1 संयुक्त समन्वय समिति

4.1.1 आरक्षित सेवाओं का सुचारू और कुशल निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, पक्षकार इसके द्वारा एक संयुक्त समन्वय समिति ("**संयुक्त समन्वय समिति**") स्थापित करने का वचन देते हैं और सहमति व्यक्त करते हैं जिसमें शामिल होंगे: (i) प्राधिकरण प्रतिनिधि; (ii) सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रतिनिधि; (iii) सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि; (iv) इमिग्रेशन सेवाएं प्रतिनिधि; (v) मौसम संबंधी सेवाएं प्रतिनिधि; (vi) सुरक्षा सेवाएं प्रतिनिधि; (vii) पादप संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि; (viii) पशु संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि; (ix) स्वास्थ्य सेवाएं प्रतिनिधि और (x) रियायतग्राही प्रतिनिधि।

4.1.2 संयुक्त समन्वय समिति, जब तक कि पक्षकारों द्वारा बाद की तारीख में बैठक आयोजित करने के लिए अन्यथा सहमति न हो, प्रभावी तिथि के तीस (30) दिनों के भीतर पहली बार शुरू होकर, हवाईअड्डे पर प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

खंड 5: रक्षा और सैन्य सेवाएं

5.1 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि रक्षा बलों को लागू कानूनों के अनुसार लागू शुल्कों के भुगतान पर, किसी भी प्रकृति के किसी भी प्रतिबंध या बाधा के बिना, हर समय हवाईअड्डे और उसकी सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा।

5.2 ऊपर खंड 5.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आपातकाल के दौरान हवाई क्षेत्र के आवंटन और बंद करने तथा हवाईअड्डे के उपयोग के संबंध में रक्षा बलों के प्रति रियायतग्राही के दायित्व भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और उस सीमा तक, रियायतग्राही को हवाईअड्डे के नागरिक उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के उसके दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा।

5.3 रियायतग्राही मास्टर प्लान में इस उद्देश्य के लिए चिह्नित क्षेत्र में या उसके पास रक्षा बलों के 2 (दो) विमानों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करेगा। रक्षा बलों को अपने स्वयं के खर्च पर चिह्नित क्षेत्र के भीतर अपने उपयोग के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण करने का अधिकार दिया जाएगा। रियायतग्राही हवाईअड्डे पर विमान की आवाजाही में रक्षा बलों का सहयोग करने और सहायता करने तथा हवाईअड्डे के उपयोग को आसान बनाने के लिए सहमत होता है और वचन देता है। भारत सरकार द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति में सैन्य परिचालन मिशनों की शुरुआत को सामान्य संचालन पर

प्राथमिकता दी जाएगी। इस हवाईअड्डे से संचालन किसी भी स्तर पर खोज और बचाव (SAR) या आईएनएस हंस से नियोजित तटीय सुरक्षा अभियानों सहित अन्य उच्च प्राथमिकता वाले सैन्य समुद्री हवाई अभियानों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

5.4 मोपा एयरफील्ड के दक्षिण में 5 समुद्री मील के भीतर टर्मिनल नियंत्रण क्षेत्र, एयरोड्रम ट्रैफिक सर्किट, वीओआर होलिंग क्षेत्र, आउटबाउंड ट्रैक, अंतिम दृष्टिकोण, विमान की सभी श्रेणियों के लिए सभी उपकरण दृष्टिकोण प्रक्रियाओं के मिस्ड दृष्टिकोण और दोनों धावनपट्टियों (रनवे) के लिए मानक उपकरण आगमन और प्रस्थान सहित हवाईअड्डे के लिए एएआई द्वारा हवाई क्षेत्र का पदनाम और उसका प्रख्यापन रखा जाएगा।

5.5 मोपा स्थित हवाईअड्डे का नियंत्रण क्षेत्र मोपा स्थित हवाईअड्डे के दक्षिण की ओर 5000 फीट की ऊंचाई तक सीमित रहेगा और एआरपी पर केंद्रित 5 समुद्री मील का अर्ध-वृत्ताकार हवाई क्षेत्र नियंत्रण क्षेत्र के एक भाग के रूप में आवंटित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रण क्षेत्र के दक्षिण में 2.5 समुद्री मील चौड़ाई का एक बफर जोन प्रदान किया जाएगा। दृश्य चक्करदार दृष्टिकोणों (visual circling approaches) के लिए एयरोड्रम ट्रैफिक सर्किट को प्रस्तावित धावनपट्टी के उत्तरी भाग में डिज़ाइन किया जाएगा।

5.6 दोनों एयरफील्डों में सैन्य और नागरिक दोनों तरह के सुरक्षित और समवर्ती संचालन को प्रभावित करने के लिए, दृष्टिकोण नियंत्रण को डबोलिम हवाई यातायात नियंत्रणों द्वारा सकारात्मक रूप से संभाला जाना चाहिए। डिज़ाइन की जाने वाली किसी भी नई एटीएस प्रक्रियाओं को भारतीय नौसेना के परामर्श से किया जाएगा।

5.7 सैन्य उड़ानों का संचालन मोपा एयरफील्ड के उत्तरी भाग में इसके नियंत्रण क्षेत्र से परे किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस क्षेत्र में सैन्य उड़ानें संचालित होने के दौरान नागरिक उड़ान संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5.8 मोपा एयरफील्ड से नौसेना के विमानों के संचालन के लिए नौसेना वायु एन्क्लेव का प्रावधान किया जाना है। इस उद्देश्य के लिए, रियायत की पूरी अवधि के लिए 5 (पांच) एकड़ भूमि लीज पर दी जाएगी। उक्त क्षेत्र एक समय में कम से कम 02 एलआरएमआर (बोइंग 737-800 समकक्ष) विमानों को संभालने के लिए एक एप्रन, हैंगर और प्रशासनिक/तकनीकी भवन का निर्माण करने के लिए पर्याप्त होगा। नौसैनिक सुविधा के लिए एक अलग स्वतंत्र प्रवेश/निकास के साथ रक्षा मंत्रालय/भारतीय नौसेना के खर्च पर नौसैनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। प्रस्तावित मोपा हवाईअड्डे की सुविधाओं को सैन्य बचाव और डायवर्जन अभियानों के लिए मुफ्त में विस्तारित किया जाना है।

5.9 हर समय तत्काल समन्वय के लिए मोपा एयरफील्ड और आईएनएस हंस के हवाई यातायात नियंत्रणों के बीच रियायतग्राही द्वारा एक हॉटलाइन स्थापित की जाएगी।

खंड 6: अवधि और समाप्ति

6.1 ऊपर खंड 2 के अधीन, यह ज्ञापन समझौता प्रभावी तिथि से पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी होगा और तब तक पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी रहेगा जब तक कि पक्षकारों द्वारा परस्पर समाप्त न कर दिया जाए ("अवधि")। बशर्ते कि इसके संदर्भ में रियायत समझौते की समाप्ति पर, रियायतग्राही इस ज्ञापन समझौते का एक पक्ष नहीं रहेगा और जब तक कि

रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य संस्था से प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है, इस ज्ञापन समझौते के तहत रियायतग्राही के अधिकार और दायित्व प्राधिकरण में निहित होंगे। संदेह से बचने के लिए, रियायत समझौते के समाप्त होने का अवधि (Term) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

खंड 7: अपरिहार्य घटना (फ़ोर्स मेज्योर)

7.1 कोई भी पक्ष इस ज्ञापन समझौते के तहत अपने संबंधित दायित्वों के प्रदर्शन को उस सीमा तक निलंबित करने या छूट पाने का हकदार होगा, जिस सीमा तक वह अपरिहार्य घटना (फ़ोर्स मेज्योर) के कारण ऐसा प्रदर्शन करने में असमर्थ है।

7.2 जहाँ कोई पक्ष अपरिहार्य घटना के कारण अपने दायित्वों के निलंबन का दावा कर रहा है, वह अपरिहार्य घटना घटित होने के तुरंत बाद, लेकिन किसी भी स्थिति में 7 (सात) दिनों से बाद नहीं, अन्य पक्षकारों को अपरिहार्य घटना का पूरा विवरण, उसकी अनुमानित अवधि, प्रभावित दायित्वों और इसके निलंबन के कारणों की लिखित सूचना देगा।

7.3 अपरिहार्य घटना का दावा करने वाला पक्ष अपरिहार्य घटना को दूर करने और इस ज्ञापन समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन पर इसके प्रभावों को कम करने के लिए उचित प्रयास करेगा। प्रभावित पक्ष अपरिहार्य घटना के समाप्त होते ही और इसके निलंबित दायित्वों का अनुपालन करने से न रोकने पर तुरंत अन्य पक्षकारों को सूचित करेगा और उसके बाद जल्द से जल्द ऐसे दायित्वों का अनुपालन फिर से शुरू करेगा।

7.4 जहाँ किसी पक्ष को अपरिहार्य घटना के कारण इस ज्ञापन समझौते के तहत किसी भी अधिकार का प्रयोग करने या किसी दायित्व का पालन करने से रोका जाता है, तो उससे प्रभावित दायित्वों के निष्पादन या उस पर निर्भर किसी भी अधिकार के प्रयोग का समय ऐसी अतिरिक्त अवधि से बढ़ाया जाएगा जो अपरिहार्य घटना की लंबन अवधि के समान होगी, या ऐसी अन्य अवधि द्वारा बढ़ाया जाएगा जैसा कि पक्षकारों के बीच सहमति हो।

7.5 ऊपर दी गई किसी भी बात के होते हुए भी, यदि कोई अपरिहार्य घटना घटित होती है और 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के लिए जारी रहती है, तो पक्षकार ऐसी अपरिहार्य घटना के परिणामों और इसके प्रभावों को कम करने या परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे।

खंड 8: गवर्निंग लॉ और विवाद निवारण

8.1 यह ज्ञापन समझौता (इस खंड 8 सहित) और इसकी व्याख्या के सभी प्रश्न भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार समझे और व्याख्यायित किए जाएंगे।

8.2 पक्षकार सहमत हैं कि वे इस ज्ञापन समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को सद्भावपूर्ण परामर्श के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा परामर्श किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को ऐसे परामर्श के लिए लिखित अनुरोध देने के तुरंत बाद शुरू होगा। बशर्ते कि यदि ऐसे सद्भावपूर्ण परामर्श शुरू होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं होता है, तो खंड 8.3 के प्रावधान लागू होंगे।

8.3 मध्यस्थता

8.3.1 कोई भी विवाद, जिसे पक्षकारों द्वारा सौहार्दपूर्ण समाधान (जैसा कि ऊपर खंड 8.2 के तहत प्रदान किया गया है) के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सका, उसे भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा अंतिम रूप से सुलझाया जाएगा।

8.3.2 विवादों को तीन (3) मध्यस्थों वाले एक न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता का प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे जो न्यायाधिकरण के अध्यक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा (संयुक्त रूप से "मध्यस्थता न्यायाधिकरण" का गठन करेंगे)। किसी भी पक्ष द्वारा अपने मध्यस्थ (मध्यस्थों) को नियुक्त करने में विफलता या पक्षकारों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थों द्वारा तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करने में विफलता की स्थिति में, उक्त मध्यस्थ (मध्यस्थों) को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

8.3.3 ऐसी मध्यस्थता, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, नई दिल्ली, भारत में आयोजित की जाएगी। ऐसी मध्यस्थता की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी।

8.3.4 मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय (निर्णय) पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

8.3.5 इस खंड 8 के अधीन रहते हुए, नई दिल्ली स्थित न्यायालयों के पास इस ज्ञापन समझौते पर क्षेत्राधिकार होगा।

खंड 9:

विविध

9.1 सूचना (Notice)

9.1.1 इस ज्ञापन समझौते की शर्तों के तहत आवश्यक या अनुमत या कानून द्वारा आवश्यक कोई भी सूचना (जब तक कि अन्यथा सहमति न हो) लिखित रूप में होगी और उसे व्यक्तिगत रूप से वितरित किया जाएगा, पंजीकृत डाक या एयर मेल द्वारा उचित रूप से प्रेषित किया जाएगा, पूरी तरह से पूर्व-भुगतान वाले लिफाफे में उचित पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा या संबंधित पक्षों को निम्नानुसार फैक्स द्वारा भेजा जाएगा:

भारत सरकार:

ध्यानार्थ: सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार

पता: राजीव गांधी भवन,

सफ़दरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली।
फैक्स नं. : 011 24602397

रियायतग्राही:

ध्यानार्थ: मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पता: जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
सर्वे नंबर 381/3, मथुरा वन,
पहली मंजिल, एनएच 17,
पोरवोरिम, गोवा
फैक्स नं. : 011 47197842

या ऐसे अन्य पते या फैक्स नंबर पर जैसा कि इसके तहत सूचना द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए।

9.1.2 ऐसी कोई भी सूचना अंग्रेजी भाषा में होगी और उसे उस समय दी गई मानी जाएगी जब हाथों-हाथ वितरित किए जाने पर वास्तव में वितरित की गई हो, या फैक्स द्वारा भेजे जाने के अगले कार्य दिवस पर या किसी भी अन्य स्थिति में इसके द्वारा पूर्व में प्रदान किए गए तरीके से डाक द्वारा भेजे जाने के तीन (3) दिनों के भीतर।

9.2 पृथक्करणीयता

9.2.1 इस ज्ञापन समझौते में निहित शर्तों, स्थितियों या प्रावधानों के किसी भी भाग को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी सीमा तक अमान्य, गैर-कानूनी या अप्रवर्तनीय पाए जाने की स्थिति में, ऐसी शर्तों, स्थितियों या प्रावधानों को उस सीमा तक शेष शर्तों, स्थितियों और प्रावधानों से पृथक् कर दिया जाएगा जो लागू कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक मान्य और प्रवर्तनीय बने रहेंगे।

9.3 संपूर्ण समझौता

9.3.1 यह ज्ञापन समझौता, इसके सभी अनुसूचियों और संलग्नकों के साथ, इस ज्ञापन समझौते के विषय के संबंध में पक्षकारों के बीच संपूर्ण समझौते और समझ का प्रतिनिधित्व करता है और पक्षकारों के बीच हुए किसी भी पूर्व समझौते या समझ, चाहे लिखित हो या मौखिक, को निरस्त और प्रतिस्थापित करता है।

9.4 संशोधन

9.4.1 इस ज्ञापन समझौते में कोई भी परिवर्धन, संशोधन या रूपांतरण तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित न किया गया हो।

9.5 समनुदेशन

9.5.1 इस तिथि के बाद लागू कानून में किसी भी परिवर्तन के बावजूद जो अन्यथा इस ज्ञापन समझौते के समनुदेशन की अनुमति दे सकता है, कोई भी पक्ष इस ज्ञापन समझौते या इसके तहत या इसके अनुसरण में उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार या दायित्व या इसमें किसी लाभ या हित को समनुदेशित (हस्तांतरित) नहीं कर सकता है।

9.5.2 बशर्ते, हालांकि, पूर्वगामी के होते हुए भी, भारत सरकार इसके द्वारा प्रतिस्थापन समझौते (Substitution Agreement) की शर्तों के अनुसार चुने गए किसी प्रतिस्थानी निकाय के पक्ष में या परियोजना के संबंध में रियायतग्राही के रूप में प्राधिकरण द्वारा स्वीकार की गई किसी अन्य संस्था के पक्ष में इस ज्ञापन समझौते को स्थानांतरित करने और नवीनीकृत (novate) करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है।

9.6 कोई साझेदारी नहीं

9.6.1 यह ज्ञापन समझौता पक्षकारों के बीच साझेदारी का गठन नहीं करेगा और न ही इसे साझेदारी का गठन माना जाएगा। किसी भी पक्ष के पास अपने एजेंट के रूप में या अन्यथा किसी अन्य पक्ष को बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा (जब तक कि इस ज्ञापन समझौते के आधार पर या अन्यथा लिखित रूप में स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो और रद्द न किया गया हो)।

9.7 छूट न होना (अपरित्याग)

9.7.1 इस ज्ञापन समझौते के तहत किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का प्रयोग करने में भारत सरकार की ओर से कोई विफलता, और उनके द्वारा प्रयोग करने में कोई देरी, उसके परित्याग के रूप में कार्य नहीं करेगी, और न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का कोई एकल या आंशिक प्रयोग इसके किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार के प्रयोग को रोकेगा। जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस ज्ञापन समझौते में प्रदान किए गए अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और उपचार संचयी हैं और किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार (चाहे कानून द्वारा प्रदान किए गए हों या अन्यथा) को बाहर करने वाले नहीं हैं।

9.8 द्विपक्षीय समझौते

9.8.1 भारत सरकार के संप्रभु अधिकारों को प्रभावित किए बिना या किसी भी तरह से सीमित किए बिना, भारत सरकार, जहाँ संभव हो, गोवा के लिए सभी मौजूदा हवाई सेवा समझौतों का नवीनीकरण करने का प्रयास करेगी और गोवा को प्रभावित करने वाले किसी भी मौजूदा हवाई सेवा समझौते को रद्द या समाप्त न करने का प्रयास करेगी। संदेह से बचने के लिए, भारत सरकार किसी अन्य राज्य या उसके नामित वाहक (वाहकों) द्वारा उनके दायित्वों का पालन करने में विफलता के कारण, या ऐसे हवाई सेवा समझौते के दूसरे पक्ष द्वारा उल्लंघन या चूक के परिणामस्वरूप किसी भी हवाई सेवा समझौते को रद्द या समाप्त करने की हकदार होगी।

जिसके साक्ष्य स्वरूप, पक्षकारों ने ऊपर सर्वप्रथम लिखित दिन और वर्ष को अपने विधिवत अधिकृत अधिकारियों और प्रतिनिधियों द्वारा इस ज्ञापन समझौते को निष्पादित कराया है।

हस्ताक्षरकर्ता :

भारत सरकार हेतु और की ओर से	साक्षी.....
हस्ताक्षरकर्ता.....	
जीजीआईएस हेतु और की ओर से	साक्षी.....
हस्ताक्षरकर्ता.....	

अनुसूची 1 :

पशु संगरोध सेवाएं

नियामक कार्य:

आगमन से पहले:

- पशु के आयात का आवेदन प्राप्त होने पर, सभी बाड़ों और चारा भंडारों की अच्छी तरह से सफाई की जाती है, उपयुक्त कीटाणुनाशकों से कीटाणुरहित किया जाता है और धूमन (fumigate) भी किया जाता है।
- सभी पशुओं को विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त पशु वाहक पर ले जाया जाता है।
- पशुओं के आगमन की निर्धारित तिथि से एक दिन पहले पशु वाहक को उचित रूप से कीटाणुरहित किया जाता है।
- आवश्यक नमूने एकत्र करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं।

प्रवेश बिंदु पर आगमन पर:

- आगमन के दिन और आयातकर्ता के साथ तय किए गए समय पर, क्षेत्रीय/संगरोध अधिकारी और अन्य कर्मचारी हवाईअड्डे पर पहुंचते हैं।
- पशु या उत्पादों की शारीरिक रूप से गहन जांच की जाती है।
- निर्दिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए पशुओं या उत्पादों के साथ आए पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र की गहन जांच की जाती है।
- यह सुनिश्चित करने के बाद कि पशु नैदानिक रूप से स्वस्थ हैं और खेप के साथ आए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सही हैं, सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात करने वाली एजेंसी को मामले के आधार पर एक अनंतिम संगरोध निकासी प्रमाण पत्र (आयात) या पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (आयात) जारी किया जाता है।
- आयातित जीवित पशुओं को क्षेत्रीय/संगरोध अधिकारी की देखरेख में संगरोध स्टेशन लाया जाता है।
- पशुओं की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए पशुओं को 30 दिनों के लिए या भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रोटोकॉल में निर्दिष्ट अनुसार संगरोध में रखा जाता है।
- पशुधन उत्पादों के मामले में, सेनेटरी आयात परमिट में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रतिनिधि नमूने लिए जाएंगे और संबंधित प्रयोगशालाओं में उनका परीक्षण किया जाएगा।

अनुसूची 2 :

सीएनएस/एटीएम सेवाएं

भारत सरकार, एएआई या नामित भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से, पूरी अवधि के दौरान, एक अलग और विस्तृत सीएनएस/एटीएम समझौते के माध्यम से हवाईअड्डे पर निम्नलिखित सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करेगी या प्रदान करवाएगी:

(क) शिकागो सम्मेलन के अनुसरण में समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार और भारत के अन्य हवाई अड्डों पर समान सेवाओं के लिए लागू उन्हीं शर्तों पर, और डीजीसीए के निर्देशों के अनुपालन में हवाईअड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाओं की स्थापना और प्रावधान करवाना;

(ख) सीएनएस/एटीएम उपकरणों का रखरखाव करवाना, जिसमें समय-समय पर उड़ान अंशांकन (calibration) और सीएनएस/एटीएम उपकरणों का परीक्षण शामिल है;

(ग) समय-समय पर सीएनएस/एटीएम उपकरणों को उन्नत (upgrade) करवाना (i) वर्तमान यातायात मांग की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डीजीसीए द्वारा अधिसूचित नागर विमानन आवश्यकताओं के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए न्यूनतम रूप से और प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) दस्तावेजों और अनुबंधों सहित लागू कानूनों के अनुसार; और (ii) हवाईअड्डे के विस्तार/उन्नयन के परिणामस्वरूप;

(घ) हवाईअड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर आवश्यक उपकरणों को अपने स्वयं के खर्च पर या नामित भारत सरकार की एजेंसी के खर्च पर, जैसी भी स्थिति हो, खरीदवाना;

(ङ) शिकागो सम्मेलन के अनुसरण में समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार और उन्हीं शर्तों पर जिन पर एएआई भारत के अन्य समान हवाईअड्डों पर प्रदान करता है, हवाईअड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए मौसम संबंधी सुविधाएं प्राप्त करना; और

(च) हवाई यातायात को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए सशक्त नामित भारत सरकार की एजेंसी से लागू कानूनों और अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार धावनपट्टी (रनवे) पर विमानों की आवाजाही को सक्षम बनवाना।

अनुसूची 3:

सीमा शुल्क नियंत्रण

कार्य:

- वॉक-थ्रू चैनल पर सीमा शुल्क नियंत्रण
- ग्रीन/रेड चैनल में सामान परीक्षा काउंटरों पर सीमा शुल्क नियंत्रण
- सामान हॉल के भीतर सामान सहायक/ उपायुक्त की सेवाओं का प्रावधान
- रोक कर रखे गए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण
- गलत तरीके से संभाले गए (mis-handled) सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण
- कीमती सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण
- पुनः शिपमेंट वाले सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण
- जब्त किए गए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण
- निकास द्वार के पास गेट अधिकारी द्वारा तैनाती

- निर्यात प्रमाण पत्र जारी करना
- सीमा शुल्क के कार्यों के संबंध में संबंधित अधिकारियों की सेवाएं
- एयर इंटेलिजेंस यूनिट

अनुसूची 4 :

स्वास्थ्य सेवाएं

1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के दायित्व

पक्षकार इसके द्वारा दर्ज करते हैं कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का यह प्रयास करने का इरादा है कि वह हवाईअड्डे के टर्मिनल पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करे और निम्नलिखित गतिविधियों को अंजाम दे (जिन्हें आगे संयुक्त रूप से "स्वास्थ्य सेवाएं" कहा गया है) :

(क) यात्रियों, आगंतुकों, एयरलाइन कर्मचारियों, भारत सरकार के कर्मचारियों, प्राधिकरण, रियायतग्राही और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के लाभ के लिए दिन में हर समय हवाईअड्डा टर्मिनल और कार्गो कॉम्प्लेक्स में चिकित्सा सुविधाएं;

(ख) हवाईअड्डा टर्मिनल पर तैनात किए जाने वाले चिकित्सा अधिकारी और अन्य स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के कर्मी जैसा कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर तय किया जाए;

(ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय समय-समय पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करेगा और हवाईअड्डे पर/आस-पास चिकित्सा सुविधाओं का समय तय करेगा; और

(घ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय हवाईअड्डे पर ऐसे अन्य कार्यों को भी अंजाम देगा जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित किए जाएं।

2. सेवाएं

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ऊपर खंड-1 में उल्लिखित सभी या किसी भी स्वास्थ्य सेवाओं और/या सुविधाओं को प्रदान नहीं करता है, तो रियायतग्राही के प्रति उसकी किसी भी प्रकार की कोई देनदारी नहीं होगी। ऐसी किसी भी देनदारी का स्पष्ट रूप से खंडन किया जाता है। रियायतग्राही इसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि ऊपर खंड 1 में उल्लिखित किसी भी स्वास्थ्य सेवाओं या सुविधाओं के न मिलने या आंशिक रूप से मिलने पर उसके पास स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या किसी अन्य सरकारी निकाय के खिलाफ कोई अधिकार नहीं होगा।

अनुसूची 5 :

इमिग्रेशन सेवाएं

हवाईअड्डे पर इमिग्रेशन सुविधा सेवा प्रदान करना और विभिन्न अधिनियमों के तहत विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्य।

अनुसूची 6 :

मौसम संबंधी सेवाएं

इसमें अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO), अनुबंध-3 और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के सम्मेलनों के तकनीकी प्रावधानों के साथ-साथ नामित भारत सरकार की एजेंसी के मानकों और अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार तथा विमान संचालन की सुरक्षा की दिशा में हवाई नेविगेशन में नागर विमानन मौसम सेवाएं शामिल हैं।

अनुसूची 7 :

पादप संरक्षण और संगरोध सेवाएं

नियामक कार्य:

(क) विदेशी कीटों और बीमारियों के प्रवेश को रोकने के लिए आयातित कृषि वस्तुओं का निरीक्षण, परीक्षण, उपचार और रिहाई

(ख) निर्यात के लिए निर्दिष्ट कृषि वस्तुओं की दृश्य जांच और उपचार

(ग) निर्यात के लिए निर्दिष्ट कृषि वस्तुओं के लिए फाइटो-सैनिटरी प्रमाण पत्र जारी करना

(घ) आयातित लकड़ी पैकेजिंग सामग्री का निरीक्षण और उपचार

(ङ) पोस्ट एंट्री संगरोध निरीक्षण

(च) कृषि वस्तुओं का धूमन / कीट-निवारण / कीटाणुशोधन

ये कार्य विनाशकारी कीट और कीड़ा अधिनियम, 1914 और पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 और इसके संशोधनों के तहत देश में विदेशी कीटों और बीमारियों के प्रवेश के जोखिम को कम करने के लिए किए जाते हैं जो भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इन प्रथाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतराष्ट्रीय पादप संरक्षण सम्मेलन के तहत स्वीकार किया जाता है और डब्ल्यूटीओ (WTO) के सेनेटरी और फाइटो-सेनेटरी समझौते के तहत मान्यता प्राप्त है।

अनुसूची 8 :

सुरक्षा सेवाएं

कार्य:

- एविसेक (AVSEC) उपायों को लागू करने के लिए आईसीएओ (ICAO) के शिकागो सम्मेलन के अनुबंध 17 के अनुसार और बीसीएस (BCAS) द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार रियायतग्राही और बीसीएस के बीच हुए समझौते में निहित शर्तों के अनुसार नामित भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि नामित भारत सरकार की एजेंसी और सुरक्षा नियंत्रण लागू करने वाले उसके व्यक्ति उचित रूप से प्रशिक्षित हैं और उनके पास अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक सभी दक्षताएँ हैं।
- विमानन सुरक्षा मामलों की योजना और समन्वय।
- सुरक्षा कर्मचारियों की दक्षता और सतर्कता का परीक्षण करने के लिए नामित भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से आश्चर्यजनक/डमी जांच आयोजित करना और विभिन्न एजेंसियों की पेशेवर आकस्मिक योजनाओं की प्रभावकारिता और परिचालन तत्परता का परीक्षण करने के लिए मॉक अभ्यास आयोजित करना।
